कार्यालयः राँची नगर निगम

(बाजार शाखा)

कचहरी रोड, राँची, पिन नं०–834001

E-mail ID- support@ranchimunicipal.com

पत्रांकः–.........182........./ दिनांकः–.....23-01-.....2018

निविदा सूचना

स्थानीय बिरसा मुण्डा बस स्टैण्ड कांटा टोली रांची में निगम स्वामित्व की नव निर्मित्त 22 दुकानों को मासिक किराये पर आवंटन हेतु इच्छुक व्यक्तियों /प्रतिष्ठानों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 108 वर्गफीट (12'x9') है। दुकानों का आवंटन खुली डाक द्वारा किया जायेगा एवं उच्चतम बोली वाले को दुकान आवंटित की जायेगी। डाक की सुरक्षित राशि 12.59/–रू0 प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह (कर सहित) है। जमानत की राशि के रूप में 10,000/–रु0 का बैंक ड्राफ्ट नगर आयुक्त, रांची नगर निगम के नाम से जमा करना होगा। निविदा आमंत्रण निम्न प्रकार से किया जाता है।

दुकान संख्या	निविदा प्राप्त करने की तिथी	निविदा निष्पदान की तिथि
01 से 10 तक	दिनांक 15.02.18 अपराहन् 3.00 बजे तक।	16.02.18 अपराह्न 3.00 बजे
11 से 22 तक	दिनांक 16.02.18 अपराहन् 3.00 बजे तक।	17.02.18 अपराह्न 3.00 बजे

नोट :– आवेदन पत्र दिनांक 07.02.18 से 12.02.18 तक किसी भी कार्य दिवस को निगम कार्यालय में 500/–रू0 जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

बन्दोबस्ती की नियम एवं शर्त्तें निगम वेबसाईट **www.ranchimunicipal.com** पर एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में रांची नगर निगम बाजार शाखा से सम्पर्क किया जा सकता है।

23/1/18

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय राँची नगर निगम, राँची ।

निविदा की शर्ते।

1 डाक की सुरक्षित राशि 12.59/–रू0 (कर सहित) प्रतिवर्गफिट प्रतिमाह है।

2 आवेदन पत्र दिनांक 07.02.2018 से 12.02.2018 तक 500/–रू0 जमा कर किसी भी कार्य दिवस में बाजार शाखा से प्राप्त किया जा सकता है।

3 निर्धारित सुरक्षित जमा राशि से कम राशि वाले प्रस्ताव को खारिज किया जायेगा।

4 डाक में भाग लेने के वाले इच्छुक व्यक्ति को जमानत की राशि के रूप में 10,000/-रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट, (नगर आयुक्त, रांची नगर निगम रांची के नाम से देय) जमा करना होगा। असफल निविदादाता को निविदा निष्पादनोपरान्त जमानत की राशि वापस लौटा दी जायेगी।

5 सफल निविदादाता को जमानत कि राशि के रूप में 06 माह किराया का समतुल्य राशि जमा करना होगा। इस राशि में जमानत की राशि समायोजित की जायेगी।

6 निविदा प्रस्ताव में दुकान संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा।

7 डाक राशि जमा नही करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं पुर्न निविदा की जायेगी।

8 सफल निविदादाता को जमानत की राशि जमा करने के एक सप्ताह के अंदर एकरारनामा करना होगा। संपादित एकरारनामा का निबंधन बन्दोबस्तधारी को स्वयं के खर्च पर कराना होगा।

9 डाक के एक सप्ताह एकरारनामा नहीं करने की स्थिति में बन्दोबस्ती रद्द कर पुनः डाक किया जायेगा।

10 डाक वक्ता को पहचान के रूप में आवश्यक कागजात एवं चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

11 प्रत्येक माह के 07 तारिख तक अग्रिम मासिक किराया जमा करना होगा।

12 दुकान में जल एवं विद्युत व्यवस्था आवंटियों को स्वयं करनी होगी।

13 दुकान आवंटन रद्द किये जाने या दुकान छोड़ने की स्थिति में जमानत कि राशि वापस कर दी जायेगी।

14 किसी प्रकार की मरम्मति या स्वरूप में बदलाव के पूर्व निगम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

15 दुकान का स्वामित्व रांची नगर निगम का होगा एवं आवश्यकतानुसार निगम के पदाधिकारी एवं कर्मचारी निरिक्षण करने को स्वतंत्र होगे।

16 किसी भी समय बिना किसी सूचना के डाक रद्द करने का अधिकार नगर आयुक्त, रांची नगर निगम, रांची को सुरक्षित होगा।

नगर आयुक्त,
रांची नगर निगम,रांची।